न्यायालय– षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर म0प्र0

जमानत आवेदन क्रमांक 2278/2025

अरसलान अली उर्फ जैन पुत्र श्री महरूम इरफान अली, उम्र 22 वर्ष, व्यवसाय– मजदूरी, निवासी– म.नं.54, गुटैयाबाग, लखमीपुर खीरी, जिला खीरी (उ0प्र0)

——— आवेदक/आरोपी

जमानत आवेदन क्रमांक 2279/2025

सुल्तान मंसूरी पुत्र स्व0 श्री सिद्दीकी मंसूरी, उम्र–22 साल, व्यवसाय– मजदूरी, निवासी– ई/84, रेल्वे कॉलोनी, पुलिस लाइन, सीतापुर जिला सीतापुर, उ.प्र., हाल– पारा काशीनगर कॉलोनी, लखनउ (उ0प्र0)

——— आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र क्राइम ब्रांच जिला ग्वालियर (म.प्र.)

———अभियोजन

पुनश्च (29.08.2025) :–

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 2278/2025 एवं जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 2279/2025 माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से अंतरण पर प्राप्त।

उक्त दोनों जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 2278/2025 एवं 2279/2025 अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. एक ही अपराध व एक ही प्रकरण से संबंधित होने से दोनों जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदकगण/आरोपीगण **अरसलान अली** व **सुल्तान मंसूरी** की ओर से श्री प्रभात किशोर हिन्नारिया अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री घनश्याम मंगल अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना क्राइम ब्रांच, ग्वालियर से अपराध क्र0 10/2025 धारा 319(2), 318(4), 308(2), 336(2), 337, 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. एवं धारा 66–डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इजाफा धारा 61(2), 111(3) व 238 बी.एन.एस. के संबंध में पृथक–पृथक प्रतिवेदन प्राप्त।

इस न्यायालय में लंबित सत्रवाद क्रमांक 281/2025 ''म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र अपराध शाखा विरूद्ध राहुल आदि'' का अभिलेख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से दोनों जमानत आवेदनों में दर्शाया गया है कि ये जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रथम जमानत आवेदन होकर, इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन किसी भी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। इस संबंध में समर्थनकारी शपथ पत्र दिनांक 28.08.2025 का आवेदकगण/आरोपीगण के मित्र नीरज शर्मा ने प्रस्तुत किया है।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत दोनों प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पर उभयपक्ष को सुना गया।

इस आदेश के द्वारा आवेदकगण/आरोपीगण अरसलान एवं सुल्तान मंसूरी की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत आवेदन धारा 483 बी.एन.एस.एस. का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत पृथक–पृथक जमानत आवेदन व तर्क संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण निर्दोष हैं, उनका उक्त अपराध कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से आवेदकगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदकगण के विरूद्ध मिथ्या आधारों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवेदकगण से कोई जप्ती अथवा पूछताछ भी नहीं होनी है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 24834/2025 एवं 29647/2025 में पारित आदेश द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है जिसके समानता के आधार पर वर्तमान आवेदकगण भी जमानत का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में आवेदकगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेंगे। अतः जमानत आवेदन स्वीकार कर आवेदकगण/आरोपीगण को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव अपील क्रमांक–555/2023 रविश कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार में पारित आदेश दिनांक 15.03.2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के एम.सी.सी. नंबर 8227/2023 दीपक यादव विरूद्ध राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में जानकारी निम्नानुसार है :–

आरक्षी केन्द्र का नाम	अपराध शाखा, ग्वालियर
अपराध क्रमांक	10/2025
अपराध जिस धारा के अंतर्गत दर्ज है	319(2), 318(4), 308(2), 336(2), 337, 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. एवं धारा 66–डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इजाफा धारा 61(2), 111(3) व 238 बी.एन.एस.
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	15.04.2025
घटना की दिनांक	17.03.2025
गिरफ्तारी दिनांक	16.05.2025
अन्वेषण की स्थिति	अभियोग पत्र पेश
आपराधिक रिकार्ड	निरंक

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने लिखित जवाब नहीं देना प्रकट कर आवेदन पर मौखिक आपत्ति व्यक्त की और दोनों जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

तर्क सुनने के पश्चात् अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त अरसलान अली एवं सुल्तान मंसूरी को पुलिस थाना क्राइम ब्रांच, ग्वालियर के अपराध क्र0 10/2025 धारा 319(2), 318(4), 308(2), 336(2), 337, 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. एवं धारा 66–डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इजाफा धारा 61(2), 111(3) व 238 बी.एन.एस. में गिरफ्तार किया गया है और वे न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अभियोग पत्र अनुसार पुलिस थाना क्राइम ब्रांच, ग्वालियर में फरियादी सचिव, स्वामी सुप्रदिप्तानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम थाटीपुर, ग्वालियर का इस आशय का शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ कि फरियादी के द्वारा आश्रम में होने वाले सभी कार्यों की देखरेख व संचालन किया जाता है। दिनांक 17.03.2025 को जब वह थाटीपुर स्थित अपने आश्रम में था तब शाम को उसके मोबाइल नंबर 7024266541 पर मोबाइल नंबर +919730742847 से एक व्हाट्सएप कॉल स्वयं को नासिक पुलिस से इंस्पेक्टर होना बताकर आया कि आपके नाम पर नासिक पुलिस थाने में मनी लॉण्ड्रिंग एक्ट में एफआईआर दर्ज है। फिर उन्होंने फरियादी से उसके केनरा बैंक खाते के बारे में पूछा, जब उसने कहा कि मेरा केनरा बैंक में कोई खाता नहीं है तो उसने फरियादी को उसका बैंक खाता नंबर 403101206666 बताया गया और बोला कि उक्त

खाता आपके आधार कार्ड व आपके नाम पर है इसमें करीब 20 करोड़ रूपये की राशि का लेन–देन हुआ है तथा उसे व्हाट्सएप पर उसी बैंक खाते के स्टेटमेंटकी पीडीएफ भेजी गई। जब फरियादी ने पीडीएफ को देखा तो उस बैंक खते में उसका नाम लिखा हुआ थ। जब फरियादी द्वारा बोला उक्त बैंक खाता उसके द्वारा नहीं खुलवाया गया तब कॉल करने वाले व्यक्ति ने बोला कि आप मनी लॉण्ड्रिंग एक्टिविटी में संलिप्त है। फरियादी ने बोला कि वह इस प्रकार की किसी गतिविधि में शामिल नहीं है तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम इसकी जांच करते हैं आप संलिप्त है या नहीं, इसके लिये आपको कॉपरेट करना पडेगा यदि आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो कुछ देर में आपके पास पुलिस आयेगी और आपको गिरफ्तार कर लिया जायेगा तब फरियादी द्वारा बोला गया कि वह पूरी तरह से कॉपरेट करेगा। फिर उस व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप कॉल पर फरियादी तथा उसके परिवार व उसके कार्य के बारे में सभी जानकारी ली गई।

उसके बाद फरियादी को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया जिसमें उसे एक व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस जैसे ऑफिस में बैठा हुआ व बैकग्राउण्ड में नासिक पुलिस लिखा हुआ दिखा। वह व्यक्ति कुछ समय फरियादी को दिखा उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई और फरियादी वीडियो कॉल पर था उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारी अनुमति के बिना कहीं नहीं जायेगा ना ही अपने सीनियर या परिवारजन को हमारी बातचीत के बारे में बतायेंगे, यदि बताया पाया गया तो 3 से 7 साल की सजा व 5 लाख रूपये या फिर दोनों की सजा से दण्डित किया जायेगा। इसी दौरान उन्होंने फरियादी से आश्रम के एकाउण्ट की पूरी डिटेल ली तथा आश्रम के एकाउण्ट के एमाउण्ट की जानकारी ली गई। फिर उस व्यक्ति द्वारा जांच के नाम पर आश्रम के फण्ड्स को विभिन्न बैंक खातों में फरियादी से ट्रांसफर कराया गया। फरियादी द्वारा व्हाट्सएप पर उनके द्वारा भेजे गये खातों में दिनांक 11.04.2025 तक कुल 2,52,99,000/–रूपये की राशि स्थानांतरित की गई तथा फरियादी से तीन दिवस में राशि खाते में वापस करने की बोला गया। दिनांक 15.04.2025 को जब उसकी राशि वापस नहीं आई तो उसके द्वारा व्हाट्सएप नंबर पर कॉल किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया तब फरियादी को ज्ञात हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर फर्जी दस्तावेज भेजकर उसके साथ 2,52,99,000/–रूपये की धोखाधड़ी कर सायबर फ्रॉड की घटना कारित की गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना क्राइम ब्रांच, ग्वालियर में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र0 10/2025 धारा 319(2), 318(4), 308(2), 336(2), 337, 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. एवं धारा 66–डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना के दौरान धारा 61(2),

111(3) व 238 बी.एन.एस. का इजाफा किया गया तथा विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया।

यद्यपि तर्क प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर के प्रकरण एमसीआरसी क्रमांक 29647/2025 एवं एम.सी.आर.सी. क्रमांक 24834/2025 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 द्वारा अभियुक्त शिवम सिंह एवं विनायक सिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है किन्तु अभियुक्तगण अरसलान अली एवं सुल्तान मंसूरी का प्रकरण उक्त अभियुक्तगण शिवम सिंह एवं विनायक सिंह से भिन्न होना इसीलिये प्रकट होता है क्योंकि आरोपी अर्सलान अली एवं सुल्तान मंसूरी द्वारा प्रकरण के सहआरोपी शौर्य शुक्ला के संपर्क मे रहकर आरोपी सचिन गुप्ता का चालू खाता बेंचने में सहयोग किया गया था तथा ट्रांजेक्शन के दौरान उक्त दोनों आरोपीगण, अन्य आरोपीगण के साथ में थे तथा आरोपित अपराध में उनकी सहभागिता का तथ्य भी उल्लेखित है जिससे अभियुक्तगण अरसलान एवं सुल्तान की प्रत्यक्ष भागिता दर्शाई है। अतः समानता के सिद्धांत का लाभ अभियुक्तगण अरसलान अली एवं सुल्तान मंसूरी को प्राप्त नहीं है।

अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि अभियोग पत्र अनुसार उक्त आरोपीगण अरसलान अली एवं सुल्तान मंसूरी लोगों से खाता देने के लिये बातचीत करते थे, उन्हें होटलों में रूकवाते थे और अन्य व्यक्तियों को फ्रॉड के षडयंत्र में शामिल करते थे। प्रथम दृष्ट्या आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संगठित अपराध की श्रेणी का होकर, अभियोजन की ओर से आरोपीगण के फरार होने की संभावना भी प्रकट की गई है। प्रथमदृष्ट्या आवेदकगण/आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति है।

अतः अपराध की गंभीरता, वर्तमान में सायबर फ्रॉड की बढती प्रवृत्ति एवं प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण/आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण/आरोपीगण अर्सलान अली एवं सुल्तान मंसूरी की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 2278/2025 एवं 2279/2025 अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 निरस्त किये जाते है।

आदेश की प्रति मूल सत्र प्रकरण में संलग्न की जावे।

आदेश की प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदाय की जावे एवं अभियुक्तगण के जेल में होने की दशा में जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल ग्वालियर की ओर भेजी जावे।

परिणाम दर्ज कर पत्रावली अभिलेखागार मे जमा किया जावे।

सही/–
(विवेक कुमार)
षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर (म.प्र.)

VIVEK KUMAR

Digitally signed by VIVEK KUMAR
Date: 2025.08.29 17:58:44 +0530